



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/श्रावण 7, 1941

No. 220]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(आंतरिक व्यापार अनुभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2019

फा.सं. पी-55015/2/2019-आंतरिक व्यापार.—केन्द्र सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए एतद्वारा 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन करती है:

- व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने वाले नीतिगत उपायों की पहचान करना।
- व्यापारियों पर लागू अधिनियमों और नियमों में सरलीकरण के सुझाव देना।
- व्यापारियों के अनुपालन बोझ को घटाने के लिए संस्तुति करना।
- व्यापारियों के लिए निधियों तक पहुंच को सुधारना।
- व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों, जैसे बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित संस्तुति करना।
- व्यवसायियों और उनके कर्मचारियों की समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए संस्तुति करना।

2. इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, यथा:-

क्र.सं.	सदस्य	पद स्थिति	टिप्पणी
1.	व्यापारियों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति	अध्यक्ष (गैर-सरकारी)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
2.	खुदरा व्यापार के तकनीकी या अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाले 5 व्यक्तियों तक	सदस्य (गैर-सरकारी)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
3.	व्यापार संघों के 10 प्रतिनिधियों तक	सदस्य (गैर-सरकारी)	केंद्र सरकार द्वारा नामित

3. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के (आंतरिक व्यापार से संबंधी) संयुक्त सचिव इस बोर्ड के संयोजक होंगे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

4. बैठकों के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्थिति	दिप्पणी
1.	वाणिज्य विभाग	आमंत्रित	पदेन
2.	वित्तीय सेवा विभाग	आमंत्रित	पदेन
3.	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	आमंत्रित	पदेन
4.	आवास और शहरी मामले मंत्रालय	आमंत्रित	पदेन
5.	राजस्व विभाग	आमंत्रित	पदेन
6.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	आमंत्रित	पदेन
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	आमंत्रित	पदेन
8.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	आमंत्रित	पदेन
9.	नीति आयोग	आमंत्रित	पदेन

5. यह बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगा। बैठक की कोरम इस बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

6. सरकारी सदस्यों को छोड़कर इस बोर्ड के सदस्यों को मिलने वाले यात्रा/महंगाई भत्तों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19047/1/2016-ई-IV दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. सरकारी सदस्यों को छोड़कर इस बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद की अवधि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(INTERNAL TRADE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2019

F.No. P-55015/2/2019-Internal Trade.—The Central Government hereby constitutes the 'National Traders' Welfare Board' to advise the Government for the fulfillment of the following objectives:

- i. To identify policy measures to achieve the objective of welfare of traders and their employees.
- ii. To suggest simplifications in the Acts and Rules applicable to traders.
- iii. To make recommendations to reduce the compliance burden of traders.
- iv. To improve access to funds for traders.
- v. To make recommendations regarding social security benefits like insurance, pension, healthcare etc., for traders and their employees.
- vi. To make recommendations to address any other problems and issues of traders and their employees.

2. The Board shall consist of the following members, namely:—

Sl. No.	Members	Status	Remarks
1.	Person capable of representing the issues of traders	Chairperson (Non-Official)	Nominated by Central Government
2.	Up to 5 Persons having special knowledge of matters relating to the technical or other aspects of retail trade	Member (Non-Official)	Nominated by Central Government
3.	Up to 10 Representatives of Trade Associations	Member (Non-Official)	Nominated by Central Government

3. Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (dealing with Internal Trade) shall be the Convener of the Board. Department for Promotion of Industry and Internal Trade shall provide secretarial assistance to the National Traders' Welfare Board.

4. Representatives of following Ministries may also be invited for the meetings:

Sl. No.	Ministries/Departments	Status	Remarks
1.	Department of Commerce	Invitee	Ex-officio
2.	Department of Financial Services	Invitee	Ex-officio
3.	Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare	Invitee	Ex-officio
4.	Ministry of Housing and Urban Affairs	Invitee	Ex-officio
5.	Department of Revenue	Invitee	Ex-officio
6.	Ministry of Labour and Employment	Invitee	Ex-officio
7.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Invitee	Ex-officio
8.	Ministry of Electronics and Information Technology	Invitee	Ex-officio
9.	NITI Aayog	Invitee	Ex-officio

5. The Board shall meet at least once in every quarter. Quorum of the meeting shall be one-third of the total Members of the Board.

6. Travelling/Dearness Allowances to the Members of the Board other than Official Members shall be regulated as per M/o Finance, Department of Expenditure's OM No. 19047/1/2016-E-IV dated 14th September, 2017.

7. The term of office of the Chairperson and Members of the Board other than the Official Members shall be two years from the date of appointment, or until further orders, whichever is earlier.

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.